संलग्नक-5

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1533 (अ), दिनांक 14 सितम्बर 2006 के प्रावधानों के तहत् मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ग्राम– पथराई, तह.–सीतापुर (नया तहसील–मैनपाठ) जिला–सरगुजा (छ.ग.) में प्रस्तावित बाक्साईट माईन क्षमता–2,00,000 टीपीए (लीज एरिया–99.350 हेक्टेयर) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् दिनांक 05/12/2015 को ग्राम–नर्मदापुर, तहसील कार्यालय–मैनपाठ के सामने निर्मित स्टेडियम, जिला–सरगुजा में आयोजित लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण :–

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1533 (अ), दिनांक 14 सितम्बर 2006 के प्रावधानों के तहत् मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ग्राम– पथराई, तह.–सीतापुर (नया तहसील–मैनपाठ) जिला–सरगुजा (छ.ग.) में प्रस्तावित बाक्साईट माईन क्षमता–2,00,000 टीपीए (लीज एरिया–99.350 हेक्टेयर) के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने बावत् श्री एन. एन. एक्का, अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अंबिकापुर की अध्यक्षता एवं क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, अंबिकापुर की उपस्थिति में दिनांक 05/12/2015 को स्थान, ग्राम–नर्मदापुर, तहसील कार्यालय–मैनपाठ के सामने निर्मित स्टेडियम, जिला–सरगुजा (छ.ग.) में प्रातः 12:10 बजे लोक सुनवाई प्रारम्भ हुई ।

सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा अवगत कराया गया कि मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ग्राम– पथराई, तह.–सीतापुर (नया तहसील–मैनपाठ) जिला–सरगुजा (छ.ग.) में प्रस्तावित बाक्साईट माईन क्षमता–2,00,000 टीपीए (लीज एरिया–99.350 हेक्टेयर) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोकसुनवाई कराने के सम्बंध में मण्डल मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर में सितम्बर 2015 को आवेदन प्रस्तुत किया गया। मण्डल मुख्यालय रायपुर द्वारा दिनांक 18/09/2015 को उद्योग की लोकसुनवाई कराने हेतु निर्देश दिये गये। कलेक्टर महोदय सरगुजा द्वारा दिनांक 27/10/2015 को उद्योग की लोकसुनवाई दिनांक 05/12/2015 को नियत की गई। तदनुसार भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित एन्वायरमेंट इम्पेक्ट असिसमेंट अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के परिपालन में दिनांक 02 नवम्बर 2015 को द टाईम्स ऑफ इण्डिया के दिल्ली संस्करण, 01 नवम्बर 2015 को नवभारत एवं हरिभूमि के रायपुर संस्करण में तथा दिनांक 02 नवम्बर 2015 को बिलासपुर संस्करण के नवभारत एवं हरिभूमि समाचार पत्रों में 30 दिवस पूर्व लोकसुनवाई की सूचना प्रकाशित कराई गयी। प्रस्तावित बाक्साईट माईन हेतु पर्यावरणीय समाघात आंकलन प्रतिवेदन एवं कार्यपालिक सार की प्रतियां अवलोकनार्थ कार्यालय कलेक्टर–सरगुजा, जिला पंचायत कार्यालय–सरगुजा, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र– अंबिकापुर, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)– सीतापुर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़, पर्यावरण संरक्षण मंडल अंबिकापुर, जनपद पंचायत–मैनपाठ, ग्राम पंचायत कार्यालय– नर्मदापुर, बरिमा, केसरा, कुदारीडीह एवं कमलेश्वरपुर, तह. –मैनपाठ, जिला–सरगुजा, डायरेक्टर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली, मुख्य वन संरक्षक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम क्षेत्र), लिंक रोड नं. 3, ई–5 रविशंकर नगर, भोपाल (म.प्र.), मुख्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, कबीर नगर व्यवसायिक परिसर, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल कालोनी, कबीर नगर, रायपुर में रखी गई थी।

तत्पश्चात् अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित जन सामान्य के समक्ष परियोजना प्रस्तावक को जानकारी/प्रस्तुतीकरण हेतु आमंत्रित किया गया, इसके पश्चात् परियोजना प्रस्तावक की ओर से परियोजना की जानकारी एवं मेसर्स ग्रीनसी इण्डिया कंसल्टिंग प्रा. लिमिटेड, वैशाली गाजियाबाद के प्रतिनिधि द्वारा पर्यावरण समाघात निर्धारण रिपोर्ट (ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट) का संक्षिप्त सार प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा उपस्थित जन समुदाय से प्रस्तावित माईन के सम्बंध में अपने सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी व्यक्त करने हेतु आग्रह किया गया।

लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जनसमुदाय में से जिन व्यक्तियों द्वारा मौखिक तौर पर सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां कही गई वह निम्नानुसार है :–

1. **श्री राजेश गुप्ता, एडव्होकेट, सीतापुर–** ई.आई.ए. रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध करायें। जनसुनवाई प्लान, माईनिंग प्लान, एक्शन प्लान, रेवेन्यू प्लान, पेशा एक्ट के तहत् ग्रामसभा की एन.ओ.सी., ऐतिहासिक प्रमाण पत्र, क्षति पूरक वन, प्रोजेक्ट इफेक्टेड लोगों, सर्वे इंडिया का टोपोशीट होना अनिवार्य है।

2. **श्री हीरालाल, ग्राम–पथराई एवं अध्यक्ष पंथ समिति** – 80–85 का जिसका पट्टा है उसको कुछ मिल सकता है जिसका पट्टा इधर का है उसको कुछ नहीं मिल सकता। पहले मीटिंग में सब लोग बोले हमको खदान नहीं चाहिए और बीच में मीटिंग किये तो जबरदस्ती आदमियों को लोभ दिखाके समझाके आधा लोग बोले आधे लोग नहीं बोले। पथराई में सरकारी ही नहीं प्राईवेट स्कूल भी है, सभी गांव के बच्चे वहां पढ़ते हैं, जहां खदान खुल रहा है वहां खदान लायक जगह नहीं है। खदान खुलने पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों का भविष्य खराब हो जायेगा। खदान खुलने से जल व दलदली खतम हो जायेगा। दलदली में जो दर्शनीय स्थान है उसमें पथराई भी है वहां खदान खुलता है दलदली खत्म हो जायेगा। 01 किमी. पर आदर्श स्कूल है, अस्पताल है। स्कूल में बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा। केसरा खदान के पास का घुनघुटा नाला सूख गया। वहां के लोग पानी के लिए तड़प रहें है। खदान खुलने से महिलाओं, बच्चों, पशुओं आदि पर प्रभाव पड़ेगा। खदान खुलने से सभी के निस्तारी पर प्रभाव पड़ेगा। खदान लायक जगह वहां पर नहीं है, वहां दर्शनीय स्थल है। नदी है। नाला है।

3. **श्री प्रभात खलको, जिला पंचायत उपाध्यक्ष, जिला–सरगुजा–** वैधानिक प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाये।

4. **श्री कृष्ण नंदन सिंह, मैनपाठ** – कलेक्टर जनदर्शन एवं मुख्य मंत्री दर्शन का निराकरण करायें। खदान से पर्यावरण को क्षति है।

5. **श्री सभापति, ग्राम–पथराई–** खदान नहीं खुलना चाहिए, ग्रामसभा की बैठक में सभी गांव के लोगों ने कहा हमें खदान नहीं चाहिए। लेकिन दुबारा मीटिंग में कुछ लोग सहमत हो गये। लोगों को बताया गया कि खदान पथराई में नहीं टिकरा में खुलेगा। आसपास के स्कूलो में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। पथराई मैनपाठ का कलेजा है कलेजा को निकाल देने से आदमी बच नहीं सकता। हम लोगों को खदान नहीं चाहिए। पथराई गांव खदान के लायक नहीं है। पथराई गांव छोटा है स्कूल है, अस्पताल है जो ब्लास्टिंग से प्रभावित होगी। नाले के ऊपर खदान खुलने से पानी खत्म हो गया। खदान खुलने से हमारा जीवन नहीं चलेगा। परिवार को हम कहां ले जायेंगे। मेरे घर के दरवाजे पर बाजार, स्कूल, अस्पताल की व्यवस्था है मुझे खदान नहीं चाहिए। हम लोग विरोध करते आ रहे हैं कल को हम लोगों को बाद में परेशानी होगी।

6. **श्री मुन्ना यादव, ग्राम–पथराई**–भारत मेरा देश है पथराई मेरी पहचान मुन्ना यादव मेरा नाम। ग्रामपंचायत के आश्रीत ग्राम–पथराई है। 98 प्रतिशत लोगों ने खदान का विरोध किया किंतु ग्रामसभा में खदान का प्रस्ताव पारित कर दिया। किसी भी गांव के व्यक्ति को ग्रामसभा में नाम दर्ज नहीं किया गया। ग्रामसभा के अधिकारियों ने ग्रामसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया। हम ग्रामवासी पर्यावरण के प्रति कृत संलकल्पित है। मिट्टी के कटाव से पर्यावरण की क्षति हुई, मानव जीवन एवं वनस्पति पर इसका अधिक असर पड़ रहा है। केमिकल से जो ब्लास्ट किया जाता है उससे इतनी आवाज होती है कि सारा पर्यावरण मण्डल ध्वनि से प्रदूषित हो जाता है। धूल होने पर पानी छिड़काव किया जाता है लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। केमिकल से नदी नाले के जल दूषित हो जाते है जिससे जलचर पशु पक्षियों को नुकसान होता है। खदान नहीं खुलना चाहिए, आपत्ति नहीं है।

7. **श्री फादर ज्ञान प्रकाश लकड़ा, ग्राम–पथराई**– लोकसुनवाई पथराई में होना चाहिए था। हम लोग 1000 रूपये खर्च करके वहां से आये हैं। रिपोर्ट में यहां गधा पाया जाना लिखा गया है जो कि यहां किसी के पास नहीं है। लोगों के पास भैंसे है जिनका उल्लेख रिपोर्ट में नहीं है। ग्राम सभा में जो आश्वासन दिया गया उन्हें पूरा नहीं किया गया। फोरलेन रोड बनाने को कहा गया जो नही हुआ। ग्रामसभा/रिपोर्ट में जो कहा गया वही नहीं किया गया है। खदान खुलने से आसपास पर्यावरण प्रभावित होगा। पर्यावरणीय स्वीकृति नही दिया जाये, हम खदान के खिलाफ है। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहले ही कदम उठाना चाहिए। खदान खुलने से पथराई ही नहीं सभी लोग प्रभावित होगें। यहां की भूमि उपजाऊ है। यहां के लोग सुख चैन से रहते है। पर्यावरण असंतुलित होने से पर्यावरण प्रभावित होगा। स्कूल, बच्चे, वातावरण, जल स्तर घटेगा, वायु मण्डल प्रभावित होगा, हम पथरई के लोग प्रभावित नहीं होगें, अंबिकापुर भी प्रभावित होगा। पर्यावरण असंतुलन के कारण चेन्नई में बाढ़ आ गया है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति न दें। खदान न खुलने दें।

8. **श्री उन्जन, जिलापंचायत सदस्य, मैनपाठ**– खदान के सम्बंध में आयोजित ग्रामसभा एवं बैठकों में मुझे आमंत्रित नहीं किया गया है। मुझे लोकसुनवाई की भी जानकारी नहीं थी। जन प्रतिनिधि को भी लोकसुनवाई की जानकारी नहीं है। लोकसुनवाई का हम विरोध करते हैं।

9. **श्री अटल बिहारी यादव, नर्मदापुर** – यहां पर पूर्व से ही खदाने संचालित है लेकिन यहां के लोगों की मूलभूत अवश्यकताओं स्कूल, अस्पताल, सड़क, बिजली की बात नहीं है खदान खुलने का विरोध करते हैं।

10. **श्री नागेश्वर यादव, पूर्व जनपद उपाध्यक्ष, नर्मदापुर**– पर्यावरणीय स्वीकृति के तिथि का घोर आपत्ति करता हूं। पर्यावरणीय स्वीकृति से मैनपाठ के जल, जंगल, जमीन का सर्वनाश हो जायेगा। पर्यावरण प्रभावित होने से पहले ही हम विरोध करते हैं। आज से 20–25 साल पहले यहां के लोग अस्पताल नहीं जाते थे। यहां के लोगों को बुखार नहीं होता था। यहां की नदी में कनकनाहट हुआ करता था। ब्लास्टिंग होने से आसपास के भवनों सामुदायिक भवन, तहसील कार्यालय, जनपद कार्यालय में में दरारे आ गई है। ऐसी पर्यावरणी स्वीकृति नहीं चाहिए जो मैनपाठ का विनाश कर दे। यहां के 99 प्रतिशत लोग विरोध करते हैं। यहां के लोग सीधे–साधे हैं अपनी बात नहीं रख पाते है।

11. **श्री जमुना प्रसाद यादव, पूर्व मण्डल अध्यक्ष, मैनपाठ**– पूरी जनता इस बाक्साईट खदान के विरोध मे है। ब्लास्टिंग से नवनिर्मित बिल्डिंग में दरार है। पानी पीने योग्य नहीं है। लोग विरोध में है। विदेश के लोग यहां आते है यहां दलदली का बड़ा नाम है। यहां की नदियां प्रदूषित हो गई हैं। यहां दलदली, मंदिर सब दूषित होंगे पर्यावरण को देखते हुए यहां खदान न खोला जाय। सुनवाई में उपस्थित एक हजार लोगों के दिल में इस खदान का विरोध है।

12. **श्री बलराम यादव, पूर्व ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष, मैनपाठ**– पर्यावरण के सम्बंध में फादर द्वारा कही गई बातों का समर्थन करता हूं । खदान नहीं खुलना चाहिए, विरोध करता हूं।

13. **श्री गणेश सोनी, विधायक प्रतिनिधि** – फादर द्वारा पर्यावरण के सम्बंध में देश विदेश पेरिस में कही जा रही बातों को ध्यान में रखते हुए मैनपाठ से ही शुरूवात की जाये। यहां एक समय कड़ाके की ठंड पड़ती थी जो आज नहीं है। बाक्साईट उत्खनन से क्षेत्र का छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाठ में जलवायु प्रभावित हो रही है। खदान नहीं खुलना चाहिए। विरोध करता हूं।

14. **श्री गणेश कुमार यादव, उप सरपंच, बरिमा**– ग्रामपंचायत बरिमा, नर्मदापुर के मुआवजा की राशि जमा किया गया। खदान से जुड़े लोगों की रोजी रोटी चल रहा था जो आज नहीं चल रहा है। उन्हें रोजी रोटी देने की बात होनी चाहिए। मैनपाठ के गरीब परिवारों युवाओं को खदान खुलने से मजदुरों की समस्या का समाधान नहीं होता है। जैसा कि बरिमा खदान में नहीं किया जा रहा है। खदान खुले या न खुले लोगों में असमंजस्य की स्थिति है लोगों को रोजी रोटी की व्यवस्था की जाये। मैनपाठ के हर पंचायत में खदान खुली है। पर्यावरण की स्थिति ठीक नहीं है। पानी की

व्यवस्था, हैण्डपंप की व्यवस्था, स्कूल, अस्पताल, डाक्टर की व्यवस्था की जाये। अगर इसका व्यवस्था करते है तो खदान खुलने का समर्थन करते हैं। खदान की रायल्टी पंचायत में दी जाये। जिससे पंचायत अपनी अवश्यकताओं के अनुरूप रोजगार मूलक विकास कार्यो में खर्च करे।

15. **श्री गणेश यादव, पूर्व उप सरपंच, ग्राम सपनादर** – आज पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये जो सिविर लगाया गया है मैं उसका विरोध करता हूं। हमारे यहां शांति का महौल है मैं चाहता हूं कि खदान नहीं खुलना चाहिए। खदान खुलने से 25 पैसा आमद है तो 75 पैसा खर्च दिखाई देता है। खदान खुलने का आपत्ति करता हूं।

16. **श्री चन्द्रप्रकाश सोनवानी, जनपद सदस्य, मैनपाठ**– खदान खुले लेकिन पर्यावरण का ध्यान रखा जाये। लोगों को पूरा मुआवजा नहीं मिला। पानी श्रोत घट रहा है रोड बनाया जाय। समर्थन करता हूं।

17. **श्री बाली चरण यादव, ग्राम पथराई** – पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये जो सिविर लगाया गया है वह एक अच्छी धारणा है। लोक सुनवाई में बोलने वालों की भावना का ध्यान नहीं रखा जाता है। यहां की व्यवस्था के लिये मैं सहमत हूं। पर्यावरण से सम्बंधित जो बात रखी गई है। यह सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण प्रदूषण की समस्या है जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है। ब्लास्टिंग में उपयोग होने वाला केमिकल पर्यावरण में घुल कर हमारे अन्दर आता है जिससे परेशानी होती है। पर्यावरण संरक्षण होना चाहिए। पेड़ पौधे नहीं रहेगें तो आक्सीजन नही मिलेगी जन जीवन नष्ट हो जायेगा। नक्शलवाद क्षेत्र विशेष को नष्ट करते है लेकिन पर्यावरण नष्ट होने से सब कुछ नष्ट हो जायेगा। खदान से सभी प्रकार के प्रदूषण जल, वायु ध्वनि आदि होता है। क्षेत्र में पूर्व से संचालित खदाने बंद होने से आज भी जन जीवन चल रहा है। बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता है। खदान खुलने से अच्छा है कि उस जमीन पर पेड़ पौधे लगाये जायें। मैनपाठ दर्शनीय स्थल है जो पूरे विश्व में जाना जाता है, खदान खोलना उचित नहीं है अनुचित है।

18. **श्री विकास चतुर्वेदी, ग्राम पथराई** – माईनिंग की गाडियां पथराई से होकर जाती है तो बहुत प्रदूषण होता है जबकि अभी खदान नहीं खुली है। यदि खदान खुल जायेगी तो कितना प्रदूषण होगा, इस पर ध्यान दिया जाय।

19. **फादर मार्शल टोप्पो, पथराई** – मुझको ऐसा लग रहा है कि अपना कोरम पूरा करने के लिए यह मीटिंग रखा गया है। खदान खुलने से जल स्तर गिर जायेगा, प्रदूषण होगा, खदान खुलने का मै पुरजोर विरोध करता हूं।

20. **श्री अमरजीत सिंह भगत, विधायक, सीतापुर, मैनपाठ**– खदान के सम्बंध में जन प्रतिनिधियों ने आपत्ति दर्ज कराई गयी थी जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी। पर्यावरण जीवन के लिये अमूल्य है। खदान खुले मैं यह चाहता हूं और न खुले यह भी नहीं चाहता हूं। जन सुनवाई वहां हो जहां खदान खुलना है। लेकिन जन सुनवाई 15–20 किमी. दूर करवा रहे है यह कहां की बात है। आप दूसरों को ठेका क्यों देते है। खुद माईनिंग क्यों नहीं करते। सड़क का बहुत बुरा हाल है मैनपाठ कोई आना नहीं चाहता था हम लोगों ने सड़क बनवाने हेतु धरना पदर्शन किया, सड़क बनवाया गया। यहां दार्शनिक स्थल, रमणिक स्थल है तथा पर्यावरण की दृष्टि से वन भूमि है। यहां 70 प्रतिशत वन एवं 30 प्रतिशत जनजीवन है, कुछ शर्त अनुसार लिखित में आपत्ति की जा रही है, सीएमडीसी से जिसका लिखित में उत्तर चाहूंगा। हमारे बनाये हुए सड़क पर ट्रक नहीं चलायें, अपने बनाये हुए सड़क पर ट्रक चलायें।

21. **श्री देवचरण पूर्व सरपंच, बरिमा** – विकास होने वाला रोजगार लायें विनाश वाला रोजगार नहीं आना चाहिए। यहां जो विनाश हो रहा है वह नहीं होना चाहिए यहां विकास होना चाहिए।

22. **श्री प्रभात खलको** – खनन की प्रक्रिया से पर्यावरण प्रदूषित होता है। माईनिंग एक्ट है उसके तहत् बाक्साईट किया जा रहा है। आप माईनिंग एक्ट का पालन नहीं कर रहें इसलिए जनता में आक्रोश है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया है। जिसमें फूटा कमेटी का प्रस्ताव का परिपालन हो। 1992 से लेकर आज तक माईनिंग की प्रकिया हो रही है। बाक्साईट जो कम्पनी यहां कारखाना खोलेगा वह ले जायेगा। पर्यावरण को नष्ट करके खदान नहीं चाहिए। भूमि का मुआवजा 40 लाख प्रति

एकड़ होना चाहिए। पुर्नवास की व्यवस्था की जाये। प्रभावित परिवार को एक व्यक्ति को स्थाई रूप से नौकरी दिया जाये। पथराई क्षेत्र में स्कूल, अस्पताल है। माईनिंग होने पर वहां इंजीनियरिंग कालेज एवं 100 बेड अस्पताल की व्यवस्था की जाये। पर्यावरण को संतुलित रखते हुए विकास कार्य किया जाये मैनपाठ वासियों का अहित न हो उनकी रक्षा की जाये। छोटे लोगों को प्रताडित करने का कार्य न किया जाये। प्रतिवेदन जिला प्रशासन को सौंपना चाहता हूं।

23. **श्री मिंसरिया राम माझी, जिलाध्यक्ष, माझी समाज, मैनपाठ** – आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है, लोकसुनवाई स्थल का परिवर्तन किया गया है जिसमें शंका लगता है। बरिमा खदान में अगूंठा ठेपा लेकर खुलवाया गया उसी प्रकार इसमें भी चाल लगता है। ब्लास्टिंग अधाधुंध किया जाता है बिल्डिंग में दरार पड़ गया है। दो–तीन महीने तक पेमेंट नहीं किया जाता है। खदान नहीं खुले माझी समाज से अनुरोध करता हूं।

24. **श्री श्रीराम यादव, कमलेश्वरपुर** – ग्राम पथराई के लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाये। समर्थन करता हूं खदान खुले एवं स्थानीय लोगों को रोजगार मिले मैं समर्थन करता हूं।

25. **श्री रजनीश पाण्डे**– सीएमडीसी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में यहां के धार्मिक स्थल को भी सम्मिलित किया जाये। यहां के पर्यटन स्थलों को भी विकसित किया जाये पथराई के लोगों को रोजगार के अन्तर्गत जोड़ा जाये। वृक्षारोपण में यूकोलिप्टिस ही लगाया जा रहा है जो प्रतिवेदन में लिखा गया है अन्य पौधों को भी लगाया जाये। पथराई के आसपास की नदियां सूख रही है। इनके संरक्षण के उपाय बताये जायें। हमारे क्षेत्र में अतिकमण बढ़ रहा है जिससे यहां पशु पालकों हेतु चारा गाह की व्यवस्था की जाये। खदान खुले लेकिन प्रतिवेदन का ध्यान रखा जाना चाहिए। पथराई में धार्मिक स्थल, मेता प्वाईंट, मछली प्वाईंट दार्शनिक स्थल है।

26. **श्री कुंज बिहारी गुप्ता, मैनपाठ** – सीएमडीसी अपनी लीज ठेकेदारी में बालको को देता है। बालको ने बिजली, पानी, सड़क सब खराब कर दिया है। खदान खुले मैं समर्थन करता हूं पर्यावरण दूषित न हो। उत्खनन होने के बाद पेड़ लगाये जायें। सड़क के किनारे वृक्षारोपण करें। मैनपाठ का पर्यावरण दूषित न हो इसका ध्यान रखा जाये।

27. **श्री राजेश गुप्ता, एडव्होकेट, सीतापुर**– ईआईए रिपोर्ट में क्षेत्र में 08 नदियां बताई गई है जबकि सबसे बड़ी नदी घुनघुटा को नाला बताया गया है। रिपोर्ट में तहसील सीतापुर बताया गया है जबकि मैनपाठ जनवरी 2008 से तहसील है, जिले की आबादी में भिन्नता है, ईआईए रिपोर्ट में आंकड़े गलत दिये गये है। आदिवासी क्षेत्र है। आजिविका साधन है पशु पालन है, झाड़िया है उसका उल्लेख रिपोर्ट में नहीं है। यहां पर पर्यटक जंगल, झरना देखने आ रहा है। मैनपाठ को पर्यटन स्थल बनाना है। पेशा एक्ट के अन्तर्गत ग्रामसभा का आयोजन किया गया था तो दुबारा क्यों ग्रामसभा का आयोजन किया गया। मैनपाठ को पर्यटन स्थल बनाया जाये। आपके द्वारा जो प्लान प्रस्तुत किया गया है वह अस्पष्ट है।

28. **श्री माधो यादव, ग्राम कुदारीडीह** – मैं सीएमडीसी का मजदूर है मुझे पैमेंट नहीं मिल रहा है। कब खदान बंद कर दिये मुझे पता नहीं चला । मजदूरी नहीं मिलने से रोजी रोटी की समस्या हो रही है।

29. **श्री हरिओम सिंह, जूनियर माईनिंग इंजीनियर, सीएमडीसी**– सुनवाई जहां होना चाहिए वहां नहीं हुआ है। खदान खुलने पर मुझे आपत्ति है।

अपर कलेक्टर महोदय – मुझे आपत्ति है कि, सीएमडीसी के खदान की ईआईएं रिपोर्ट बनाने के पूर्व कंसल्टेंट द्वारा क्षेत्र की पूर्ण जानकारी/अध्ययन नहीं किया गया।

उपरोक्त वक्तव्यों के बाद अपर कलेटर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन समुदाय से अनेक बार अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया किंतु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब लगभग अपरान्ह **02:45** बजे अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री उपेन्द्र कुमार, सहायक महाप्रबंधक/क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, अंबिकापुर के द्वारा परियोजना के सम्बंध में लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये मुख्य मुद्दों के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया। लगभग **03:45** बजे अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा लोकसुनवाई सम्पन्न होने की घोषणा की गई ।

लोकसुनवाई स्थल पर लिखित में **38** सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्ति प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना पर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान **29** व्यक्तियों के द्वारा मौखिक सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां अभिव्यक्त की गई, जिसे अभिलिखित किया गया था। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जन सामान्य को पढ़कर सुनाया गया। लोक सुनवाई में लगभग **450** व्यक्ति उपस्थित थे। उपस्थिति पत्रक पर कुल **160** व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किये गये। आयोजित लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी की गई।

अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त दण्डाधिकारी
अंबिकापुर, जिला–सरगुजा